कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

क्रमांकः— 02 दिनांक :— 19-04-2023

।। विज्ञप्ति ।।

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 01 दिनांक 25.01.2023 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)55/16/36 दिनांक 17.01.2023 एवं पत्रांक G/IA-4(i)(a)55/16/3729 दिनांक 18.06.2016 के अनुसार राजसमन्द न्यायक्षेत्र में रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से संविदा/राज्य सरकार के विभागों/PSUs से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं प्राथमिकता के क्रम में ली जाने हेतु दिनांक 13.02.2023 तक आवेदन आमन्त्रित किये गये थे जिसकी आवेदन तिथि दिनांक 13.02.2023 से दिनांक 27.04.2023 तक अभिवृद्धित की जाती हैं।

मंत्रालयिक संवर्ग हेतु :—

1. न्यायिक विभाग/राज्य सरकार/PSUs से सेवानिवृत कर्मचारीगण संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
2. राज्य सरकार के कार्मिक Deputation or Reverse Deputation पर अपने विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु :—

1. न्यायिक विभाग/राज्य सरकार से सेवानिवृत कर्मचारीगण संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय में आवेदन कर सकते है।
2. राज्य सरकार के कार्मिक Deputation or Reverse Deputation पर अपने विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारीगण का चयन उक्त वर्णित प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।

न्यायिक विभाग/राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है वे कर्मचारीगण विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त दोनों संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं राजसमन्द न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित संवर्गो में सेवाएं देने वाले इच्छुक व्यक्ति दिनांक 27.04.2023 को प्रातः 11:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज सलंग्न किये जाने आवश्यक है:—

1. विभाग के द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण—पत्र (प्रारूप सलंग्न है)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द

क्रमांकः 1797—1804 दिनांक : 19-04-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश...
4. जिला कलक्टर, राजसमन्द को समस्त विभागों/PSUs मे सूचित करने हेतु।
5. राजसमंद न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु संबंधित न्यायालय...
6. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमंद को अखबार में साया हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर न्यायालय हाजा को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
राजसमन्द

कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज.)

राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में संविदा, पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन प्रारूप II

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. पता ....
....
....
5. आयु ....वर्ष.................माह.............दिन
6. अर्हताएं ....
7. मूल विभाग का नाम ....
8. सेवानिवृति से पूर्व धारित पद ....
9. अनुभव ....
....
....
10. सेवानिवृति के समय मूल वेतन ....
(रंनिग पे बेण्ड, वेतन+ ग्रेड पै)
(एलपीसी संलग्न हैं)
11. मूल पेंशन की राशि ....
(पीपीओ प्रति संलग्न है)
12. धारित पद का वेतनमान ....
(सेवानिवृति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र ....
(संलग्नानुसार)

सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा हस्तक्षारित किये जाने के लिये वचनबद्ध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों / निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुननियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबद्ध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता हैं।

स्थानः
दिनांकः

सेवानिवृति अधिकारी / कर्मचारी
के हस्ताक्षर